GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 175
TO BE ANSWERED ON 19th JULY, 2021(MONDAY)/ ASHADHA 28, 1943(SAKA)

Revision of Pension in RBI

175. SHRI THIRUMAAVALAVAN THOL:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the approval sought for the revision of Pension to the retired employees of Reserve Bank of India (RBI) was rejected by the Government in the past;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether revision of pension for the retired employees of RBI rejected by the Government is implemented by RBI; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(DR. BHAGWAT KARAD)

(a) to (d): Following a request made by the Reserve Bank of India (RBI) for revision of pension of its retired employees, the Central Government, on 5.3.2019, has approved an increase of 10% in pension plus dearness allowance. RBI has informed that it has implemented the revision *vide* its circular dated 7.3.2019.

*****

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 175

जिसका उत्तर 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक) को दिया गया

आरबीआई में पेंशन में संशोधन

175. डॉ. थोल तिरुमावलवन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन की मांग को सरकार द्वारा पूर्व में रद्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा आरबीआई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में अस्वीकृत संशोधन को आरबीआई द्वारा कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. भागवत कराड)

(क) से (घ): : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन में संशोधन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए अनुरोध के पश्चात, केन्द्र सरकार ने दिनांक 5.3.2019 को पेंशन और महंगाई भत्ते में 10% की वृद्धि को मंजूरी दी है। आरबीआई ने सूचित किया है कि उसने दिनांक 7.3.2019 के उसके परिपत्र के माध्यम से उक्त संशोधन को लागू कर दिया है।

*****

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/Staffnews_in